राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

खरीफ 2016 हेतु उर्वरकों की व्यवस्था व उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों की उपलब्धता हेतु दिनांक 17–03–2016 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य के कृषकों को खरीफ 2016 में मांग अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता एंव उर्वरकों की उच्च गुणवत्ता बनायें रखनें की सुनिश्चितता करने हेतु श्रीमान् आयुक्त एंव विशिष्ठ शासन सचिव कृषि की अध्यक्षता में दिनांक 17–03–2016 को 03.00 पी.एम. पर कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर के कान्फ्रेस हाल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों व उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं की सूची परिशिष्ठ–अ पर संलग्न है।

सर्वप्रथम अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) द्वारा खरीफ 2016 हेतु उर्वरकों की मांग अनुसार व्यवस्था तथा उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों की राज्य में आपूर्ति बाबत निर्देश दिये जाकर एवं आवश्यक सुझाव आमंत्रित किये गये।

बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) व संयुक्त निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) द्वारा भी खरीफ 2016 हेतु उर्वरकों की मांग अनुसार व्यवस्था तथा उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों की राज्य में आपूर्ति व इस हेतु आवश्यक विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी उपस्थित सहभागियों को दी गई।

श्रीमान् आयुक्त एंव विशिष्ठ शासन सचिव कृषि महोदय द्वारा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि राज्य में कृषको को किसी भी स्थिति में अमानक उर्वरकों का निर्माण एंव विक्रय नही किया जावें व उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों के निर्माण एंव विक्रय हेतु आवश्यक समस्त कदम निर्माताओं, विक्रेताओं तथा विभागीय कार्मिकों द्वारा उठायें जावें। उनके द्वारा अमानक उर्वरकों का निमार्ण, विक्रय करने वाले, बिना अनुमति के उर्वरकों का व्यापार करने वाले , उर्वरकों के नाम पर गैर एफसीओं उत्पादों का निर्माण व विक्रय करने वाले निर्माताओ व विक्रेताओं के विरुद्व तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही करते हुये दोषियों के विरुद्व अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जावें।

बैठक में विस्तृत विचार –विर्मश उपरांत श्रीमान् आयुक्त एंव विशिष्ठ शासन सचिव कृषि महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. प्रत्येक उर्वरक निर्माता द्वारा उर्वरक विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता की प्रयोग में ली जावें। **(कार्यवाही–समस्त उर्वरक निर्माता कम्पनियॉ)**

2. उर्वरक विनिर्माण परिसर में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रयोगशाला में आवश्यक समस्त उपकरण क्रियाशील हो। **(कार्यवाही–समस्त उर्वरक निर्माता कम्पनियॉ व संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.)**

3. उर्वरकों की गुणवत्ता हेतु नियुक्त केमिस्ट द्वारा नियमित रुप से निर्धारित मापदण्ड अनुसार उत्पादन ईकाई में उत्पादित उर्वरक के प्रत्येक लाट का विश्लेषण आवश्यक रुप से करे व मानक होने पर ही निर्माता द्वारा इसे विक्रय हेतु जारी किया जावें। **(कार्यवाही–समस्त उर्वरक निर्माता कम्पनियॉ)**